सेवा में,

प्रथम अपीलीय अधिकारी

कार्यालय–राष्ट्रीय शर्करा संस्था कल्यानपुर, कानपुर

विषय–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील

महोदय,

प्रार्थी ने अपने आर. टी. आई. आवेदन दिनांक 27.9.2014 द्वारा जनसूचना अधिकारी कार्यालय राष्ट्रीय शर्करा संस्था कल्यानपुर, कानपुर से (3) विन्दुओं पर सूचनायें मांगी थी । जिसकी छाया प्रति संलग्नक (1) के रुप में संलग्नक है ।

जिसके प्रत्युत्तर में राष्ट्रीय शर्करा संस्था कल्यानपुर, कानपुर के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 5.11.2014 द्वारा सूचना प्रदान की गई जिसकी छाया प्रति संलग्नक (2) के रुप में संलग्न है ।

परन्तु जनसूचना अधिकारी राष्ट्रीय शर्करा संस्था कल्यानपुर, कानपुर द्वारा प्रदान की गई सूचना संलग्नक (2) अपूर्ण एवं बहकावा पूर्ण होने के कारण प्रार्थी ने दिनांक – 12 11.2014 को राज्य सूचना आयोग में अपील की । प्रार्थी की अपील राज्य सूचना आयोग द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग को संदर्भित कर दिया गया । जिस पर सम्यक विचारोंपरान्त केन्द्रीय सूचना आयोग में अपने पत्र दिनांक 20.3.2015 द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु मार्ग दर्शन दिया है ।

अस्तु यह प्रथम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित तथ्य आपके संज्ञान में लाया जा रहा है–

1. प्रार्थी के आर.टी.आई. आवेदन दिनांक 27.9.2014 के विन्दु संख्या एक द्वारा यह सूचना मांगी गई है कि अच्छेलाल सुत सुखई यादव द्वारा दिया प्रमाण पत्र गलत पाया गया इसके बाद श्रीमानजी द्वारा अच्छेलाल सुत सुखई यादव के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अवगत कराने का कष्ट करें ।

   जिसके प्रत्युत्तर में जनसूचना अधिकारी राष्ट्रीय शर्करा संस्था कल्यानपुर, कानपुर के पत्र दिनांक 5.11.2014 द्वारा बहकावा पूर्ण ढंग से यह सूचना प्रदान की गई कि अच्छेलाल सुत सुखई यादव के जन्म तिथि के सम्बन्धित दस्तावेजों के अनुसार कर्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जा चुकी है इस प्रकार सम्बधित जनसूचना अधिकारी द्वारा यह सूचना नही प्रदान की गई अच्छेलाल सुत सुखई यादव की जन्म तिथि से सम्बन्धित क्या कार्यवाही की गई ।

2. आर. टी. आई. आवेदन के विन्दु संख्या (3) द्वारा यह सूचना मागी गई कि अच्छेलाल सुत सुखई यादव के विरुद्ध कार्यवाही कब तक की जायेगी । जिसके प्रत्युत्तर में एन.एस.आई. के जनसूचना अधिकारी द्वारा बहकावा पूर्ण ढंग से यह सूचना प्रदान की गई है कि अच्छेलाल सुत सुखई यादव की जन्मतिथि से सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है । जबकि यह सूचना नही प्रदान की गई अच्छेलाल सुत सुखई यादव के कूटरचित दस्ताबेज दाखिल करके नौकरी प्राप्त करने के सम्बन्ध में अंतिम कार्यवाही किस तिथि तक सुनिश्चित की जायेगी और किस प्रकार की कार्यवाही की जायेगी ।

P. I. O.

(10)

अस्तु यह प्रथम अपील अपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अग्रह किया जाता है कि प्रार्थी के आर. टी. आई. आवेदन दिनांक 27.9.2014 द्वारा मांगी गई सूचना तथ्य परक तरीके से इस प्रकार उपलब्ध कराई कि अच्छेलाल सुत सुखई यादव के कूटरचित जन्मतिथि के सम्बन्ध में किस स्तर की क्या-क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की गई है और अंतिम कार्यवाही किस तिथि तक सुनिश्चित की जायेगी ।

संलग्नक-

1. प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.9.2014 को भेजे गये आर. टी. आई. आवेदन की छाया प्रति ।
2. एन.एस .आई. द्वारा भेजे गये पत्र दिनांक 5.11.2014 की छाया प्रति ।

(Rajeev Dubey) 04/04/15

प्रार्थी-
राजीव दूबे सुत श्री ब्यासदत्त दूबे
ग्राम- गोपीनाथपुर
पोस्ट- बरुआ उत्तरी
थाना- कोतवाली चांदा
जनपद- सुलतानपुर
मो. 9838275715

दिनांक- 04/04/15

RTI matter (18)
Speed post

सं. 25(52)/2014/RTI/9

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर

ISO संस्थान प्रमाणित 2008-9001

उपभोक्ता मामले, मंत्रालय वितरण सार्वजनिक एवं खाद्य

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

भारत सरकार

फोन - 0512-2570542, 543

फैक्स - 0512-2570247

ई-मेल - nsikanpur@nic.in

दि. 12.05.2015

सेवा में,

श्री राजीव दुबे सुत श्री ध्यानचंद्र दूबे,

नि. ग्राम-गोपीनाथपुर,

पो.आ.-बरुआ उत्तरी,

जनपद-सुल्तानपुर (उ.प्र.)

<u>विषय -सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत प्रथम अपील।</u>

महोदय,

यह आदेश श्री अच्छेलाल के प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिये गये दि. 27.09.14 के आवेदन से संबंधित दि. 04.04.15 की प्रथम अपील के संदर्भ में है।

श्री राजीव दुबे ने अपने मूल आवेदन दि.- 27.09.14 में निम्नलिखित जानकारी चाही थी-

1. श्री अच्छेलाल सुत सुखई यादव द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र गलत पाया गया इसके बाद श्रीमानजी द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी अवगत कराने का कष्ट करें।
2. श्री अच्छेलाल कूटरचित दस्तावेज दाखिल करके नौकरी कर रहा है। तो उसके विरुद्ध विभाग द्वारा कोई अभियोग किसी थाने में पंजीकृत कराया गया कि नहीं अगर नहीं तो क्यों।
3. श्री अच्छेलाल सुत सुखई यादव के ऊपर कार्यवाही कब तक की जायेगी।

इस संदर्भ में संस्थान के केंद्रीय जनसूचना अधिकारी ने दि. 05.11.2014 को सूचित किया था कि-

1. अच्छेलाल सुत सुखई यादव की जन्मतिथि से संबंधित दस्तावेजों के अनुसार कार्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जा चुकी है।
2. श्री अच्छेलाल द्वारा कूटरचित दस्तावेज जमा करके नौकरी करने के प्रकरण की जांच की जा रही है।
3. श्री अच्छेलाल सुत सुखई यादव की जन्मतिथि से संबंधित कार्यवाही की जा चुकी है।

दि. 04.04.15 की अपील के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि सीपीआईओ ने पहले ही जिस स्टेज तक सूचना दी जा सकती थी उपलब्ध करा दी है। साथ ही पूर्व में यह भी सूचित किया जा चुका है कि जन्मतिथि में परिवर्तन का निर्णय अंतरिम मात्र है तथा ऐसी निकटतम सेवानिवृत्ति की तिथि के पश्चात किसी भी तरह का अनुचित लाभ पाने की संभावना को रोकने के लिए पूर्व-सतर्कता-संबंधी उपाय के रूप में लिया गया है। जन्मतिथि में परिवर्तन या अन्य किसी कार्यवाही के मामले में अंतिम निर्णय जांच पूरी होने के बाद ही लिया जायेगा।

इसके अलावा जहां तक जांच रिपोर्ट के अंतर्वस्तु/विषयवस्तु को देने का प्रश्न है, यहां यह उल्लेखनीय है कि श्री अच्छेलाल के विरुद्ध जारी जांच अभी अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंची है। अतः जांच रिपोर्ट अथवा जांच रिपोर्ट की अंतर्वस्तु / विषयवस्तु वर्तमान स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा- 8(1) (सी),(एच) तथा (जे) के अनुसार आवेदक को न देने की छूट दी गई है।

उपरोक्त के मद्देनजर एवं आपके द्वारा उठाये गये मुद्दे पर निर्णय, दूसरी जांच एजेंसियों से प्राप्त होनेवाली आख्याओं पर निर्भर रहेगी। अतः मांगी गई सूचना, आज की तिथि में अनुपलब्ध मानी जाय। यह सूचना देने का निर्णय जांच पूरी होने के उपरांत ही लिया जा पायेगा।

मैं यह मत रखता हूं कि केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी ने यथासंभव आज की तिथि तक दी जा सकने वाली पूरी जानकारी दे दी है। इस मामले में अधिक जानकारी उपलब्ध कराने के विषय में जांच पूरी होने के उपरांत ही विचार किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त मांगी गई जानकारी में सूचना के व्याख्या की अपेक्षा है जो जनसूचना अधिकार की परिभाषा में नहीं आती। इसके अलावा आपके द्वारा उठाये गये बिंदुओं के संदर्भ में पुनः सूचित किया जाता है कि जनसूचना अधिकारी का यह कर्तव्य नहीं होता कि ऐसी जानकारी प्रदान करें जिसमें निष्कर्ष अथवा अनुमान निकालने की धारणा बनाने की अथवा सूचना की विवेचना करने की अथवा आवेदक द्वारा स्थगित समस्याओं का समाधान करने की अथवा काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता हो।

(16)

अधिनियम के तहत यह भी आवश्यक नहीं कि जनसूचना अधिकारी उपलब्ध सामग्री से कुछ निर्णय/निष्कर्ष निकाल लें और आवेदक को ऐसे निकाले गये निर्णय/निष्कर्ष उपलब्ध करा दें।

यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप दूसरी अपील इस निर्णय की तिथि या इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के अंदर निम्न पते पर केन्द्रीय सूचना आयोग में कर सकते हैं-

केन्द्रीय सूचना आयोग,
कमरा नं.-326, द्वितीय तल,
अगस्त क्रांति भार्ग,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली – 110 066।

यह आदेश कानपुर में दि. 12.05.2015 को दिया गया है।

भवदीय,

(नरेन्द्र मोहन)
निदेशक एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी